न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4010–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 365/2010–11/अपील.

श्रीमती फूलीबाई पत्नी स्व. श्री वालिया
निवासी ग्राम बामनिया
नारेला रोड, चौकीदार पुलिया
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ ....आवेदिका

विरूद्ध

नारायण पुत्र भगवान लोहार
निवासी अहिल्या मार्ग, पेटलावद
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ ....अनावेदक

श्री एस.एल. धाकड़, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/1/15 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश 31–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार, पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, थांदला जिला झाबुआ के प्रकरण कमांक 191 व 192/अ–23/81–82 में पारित आदेश दिनांक 28–11–84 के अनुसार ग्राम बामनिया तहसील पेटलावद स्थित विभिन्न वादग्रस्त भूमियॉ कुल रकबा 10.88 हेक्टेयर का अनावेदक से कब्जा दिलाया जाये ।

तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ—70/2009—10 दर्ज कर आदेशिका दिनांक 9—2—2010 द्वारा राजस्व निरीक्षक, पेटलावाद को निर्देशित किया गया कि वे आवेदिका को अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 28—11—04 के अनुसार आवेदित भूमि का कब्जा दिलाया जाये । तहसील न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक वृत 1 पेटलावद द्वारा दिनांक 24—2—2010 को वादग्रस्त भूमि का कब्जा आवेदिका को दिलवाया गया । तदोपरान्त अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदिका से अनावेदक को दिलाये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा 14—5—10 को आदेश पारित कर पुनः अनावेदक को वापिस दिलवाया गया । इस आदेश से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा कलेक्टर, झाबुआ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28—10—2010 को आदेश पारित कर आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। कलेक्टर के आदेश से व्यथित आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31—7—2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) ग्राम बामनिया, तहसील पेटलावद स्थित वादग्रस्त भूमि पर सन् 1959 के राजस्व रिकार्ड में आवेदिका के पति श्री वालिया का नाम अंकित होना पाया गया था । सन् 1979—80 के राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टि के अनुसार वादग्रस्त भूमि अनावेदक के नाम पर होना पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता की धारा 170 (ख) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक के विरूद्व एवं आवेदिका के पक्ष में आदेश पारित किया था।

(2) संहिता की धारा 189 उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, जो वास्तविक रूप से भूमि पर किसी पट्टे के आधार पर खेती करता है, परन्तु अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी, जो मूल रूप से भूमिस्वामी है, की भूमि पर गैर आदिवासी द्वारा खेती की जाने पर उसके हित का संरक्षण संहिता की धारा 190 नहीं करती है, ऐसी स्थिति में गैर आदिवासी संहिता

की धारा 190 के अन्तर्गत कोई स्वत्व प्राप्त नहीं कर सकता है । संहिता की धारा 170 (ख) की उपधारा 2 के तहत वादग्रस्त भूमि खुद–ब–खुद मूल भूमिस्वामी आदिवासी की हो जाती है, ऐसी स्थिति में यदि गैर आदिवासी के हित में भूमि का अन्तरण भी किया गया हो तो उसे सद्भाविक नहीं कहा जा सकता है । यदि यह मान भी लिया जाये कि शासन द्वारा वादग्रस्त भूमि आवेदिका से लेकर अनावेदक को दी गई तो फिर संहिता की धारा 168 के तहत प्राप्त की गई भूमि संहिता की धारा 169 के परन्तुक की धारा 185 व 190 के साथ अनावेदक को भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं ।

(3) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 2432 / 1984 एवं याचिका क्रमांक 2434 / 84 माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28–11–1985 को निरस्त की जा चुकी है एवं आवेदिका को भूमि से बेदखल न किये जाने संबंधी आदेशित किया गया है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के उपरांत भूमि का कब्जा आवेदिका को दिलाया जाना न्यायोचित है । इस प्रकरण में प्रकरण क्रमांक 191, 192 / अ–23 / 1981–82 (म.प्र. शासन, वालिया पिता देवा विरूद्ध नारायण पिता भगवान) में अनुविभागीय अधिकारी, थांदला जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 28–11–1984 को पारित आदेश द्वारा भी आवेदिका के पति को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया गया था, जिसके विरूद्ध अनावेदक ने एक अपील क्रमांक 104 / 85–86 (नारायण लोहार विरूद्ध वालिया पिता देवा) कलेक्टर, झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो दिनांक 16–3–88 को निरस्त की गई, जिसके पालन में आवेदिका को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिनांक 24–2–2010 को दिलवाया गया, किन्तु दो माह पश्चात दिनांक 14–5–2010 पुनः कब्जा विपक्षी को दिलवा दिया गया ।

(4) संहिता की धारा 42 यह कहती है कि तकनीकी आधारों पर वास्तविक न्यायदान का लक्ष्य विफल नहीं होने दिया जाये और अधिकारितापूर्ण आदेश न्यायालय ने दिया हो तो उसे केवल तकनीकी एवं महत्वहीन त्रुटियों के कारण ध्वस्त नहीं किया जा सकता है ।

(5) संहिता की धारा 114 एवं 110 के अन्तर्गत खसरा प्रविष्टियों से न तो कोई अधिकार प्राप्त होता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार समाप्त होता । यह स्वत्व प्रमाणित करने का आधार नहीं है, और उसकी अवधारणा भी नहीं की जा सकेगी ।

(6) विवादित भूमि आवेदिका के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जो राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर चली आ रही है । उक्त नाम बिना किसी न्यायालय प्रकरण एवं आदेश तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के विलोपित किया गया है और आवेदिका को अभिलेख से हटाये जाने के पूर्व सूचना, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना जांच कराये आवेदिका का नाम अभिलेख से विलोपित करने में कानूनन गंभीर भूल की गई है ।

(7) अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 191, 192/अ–23/81–82 में पारित आदेश दिनांक 28–11–1984 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत याचिका कमांक 2432/1984 में पारित आदेश दिनांक 28–11–1985 द्वारा निरस्त कर दी गयी तथा आवेदिका को उसके स्वामित्व की सम्पूर्ण विवादित भू–भाग पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कब्जा भी दिलाया गया है।

(8) म.प्र. शासन द्वारा जिला झाबुआ को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें किसी भी आदिवासी अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि विकय से प्रतिबंधित थी, बिना कलेक्टर की अनुमति लिये किसी प्रकार की भूमि को विकय नहीं किया जा सकता है । रिकार्ड में कलेक्टर की अनुमति संबंधी अनावेदक द्वारा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(9) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में निर्णय दिया जा चुका है एवं विभिन्न अन्य न्यायालयों द्वारा भी आवेदिका के पक्ष में निर्णय दिया जाकर उसे भूमि का कब्जा भी दिलवा दिया गया था, ऐसी स्थिति में अब आवेदिका को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का निर्णय अंतिम हो चुका है एवं वह सभी पर बंधनकारी है ।

तर्कों के समर्थन में 1954 सु.को. 340 (उच्चतम न्यायालय) 1996 एस.सी.सी. 223, 2004 आर.एन. 233, 2004 (2) एम.पी.एल.जे. 557, 2006 आर.एन. 304 (उच्च न्यायालय), 2009 आर.एन. 179 (उच्च न्यायालय), 2002 आर.एन. 95 (उच्च न्यायालय), 2003 आर.एन. 434 (उच्च न्यायालय), 2003 आर.एन. 135 (उच्चतम न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक के सूचना उपरान्त अनुपस्थित ।

6/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में प्रकरण के गुण–दोष पर एवं प्रस्तुत साक्ष्यों पर बिना विचार किये केवल इस आधार पर अपील निरस्त की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर तथा तत्कालीन अपर कलेक्टर, अपर आयुक्त तथा अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिकाओं में भी आदेश पारित किये गये हैं, जिसके अनुसार ही अनावेदक को कब्जा दिलाया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । संहिता की धारा 49 में हुए संशोधन के अनुरूप अपर आयुक्त का यह वैधानिक दायित्व था कि वे प्रकरण में आई साक्ष्य पर विधिवत विचार करते हुए प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करते, परन्तु उनके द्वारा अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि अपर आयुक्त प्रकरण में आई साक्ष्य पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए यदि आवश्यक हो तो अन्य साक्ष्य लेकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश 31–7–2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर